

## महत्वपूर्ण एवं खास

आग से झुलसी महिला की ईलाज के दौरान मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। आग में जलने के बाद अस्पताल में डेढ़ माह पहले ईलाज के लिए भर्ती बुजुंग महिला की बुधवार को मौत हो गई। मृतका का नाम मेमबाई यादव बताया गया है। घटना के बारे में बताया गया कि मृतका मेम बाई यादव पति धूर साय यादव 65 साल बीते 10 फरवरी को अपने घर में ठंड से बचने के लिए जलते चुल्हे के पास बिस्तर लगाकर सोती हुई थी, इसी दौरान चुल्हे की एक चिंगारी महिला के बिस्तर तक पहुंच गई। जो धीरे धीरे महिला के कपड़ों को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब तक महिला को बचाने के लिए परिवार के लोग वहां पहुंचे, तब तक वह काफी हद तक झुलस गई थी, जिसके बाद उसे ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई।

**चुनाव प्रचार रैली, आमसभा, जुलूस,**

**लाउडस्पीकर के अनुमति के लिए सिंगल**

**विंडो की स्थापना**

न्याय साक्षी/रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों के अध्यक्षियों के द्वारा चुनाव प्रचार रैली, आमसभा, जुलूस, लाउड स्पीकर के अनुमति के लिए कलेक्टेट कार्यालय रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 11 में सिंगल विंडो' की स्थापना की गई है। जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा उनके सहयोग हेतु छ.ग.विद्युत मंडल रायगढ़ के कार्यालयन अधियंतर गुंजन शर्मा, नगर निगम रायगढ़ के उपायुक्त पंकज मित्रल, शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 क्वी.बी.टोपो, महिला बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड-3 देवेन्द्र वर्मा एवं वन विभाग रायगढ़ के भृत्य रविशंकर यादव की इयूटी लगाई गई है।

**निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सर्व दलों का**

**प्रशिक्षण 25 मार्च को**

न्याय साक्षी/रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सर्व दलों में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण बैठक 25 मार्च को दोपहर 2 बजे सुन्न अस्पताल रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने सर्व सहायक व्यय प्रेषक, सर्व लेखा टीम, सर्व उड़न् दस्ता दल, सर्व स्वीकृत निगरानी दल, सर्व विडियो निगरानी दल, सर्व विडियो अवलोकन दल को प्रशिक्षण बैठक में उपस्थित होने हेतु कहा है। अधिकारी-कर्मचारी परिचर पत्र जारी करने हेतु दो पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना सुनिश्चित करें, ताकि परिचय पत्र जारी किया जा सके।

**विद्यार्थियों को दी गई ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन की जानकारी**

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासकीय महाविद्यालय पुसौर में विद्यार्थियों के लिए ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया एवं उनकी शक्तियों का भी समाधान किया गया। इसी प्रकार धरमजयगढ़ के शासकीय महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारीण एवं छात्राओं को ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन के संबंध में जानकारी दी गई।

## खबरें खास

# दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण, एसडीएम व निगम आयुक्त की संयुक्त कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़।

महान्मा गांधी चौक सहित शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर जिला प्रशासन और निगम कर्मियों के द्वारा व्यवसायिक अतिक्रमण हटाये जाने की कार्रवाही की गई। एसडीएम रायगढ़ और निगम आयुक्त ने मौके पर उपस्थिति का अंजाम दिया।

एसडीएम रायगढ़ भागवत जयसवाल ने बताया कि आज की कार्रवाही में प्रशासनिक अमलों का निकलते को नेटिस और समझाइश देकर अतिक्रमित कब्जा हटाने को कहा गया। व्यवसायिक अतिक्रमण के सम्बंध में कहा



गया कि अगली बार दोषी कब्जेदारों पर संघें जीसी की कार्रवाही की जायेगी। आम तौर पर यह देखा गया है कि इस तरह की कार्रवाही सिर्फ गरीब पसरा लगाने वालों पर होती है,

जबकि बड़े दुकानदार प्रशासनिक अमलों के निकलते ही सड़क पर वापस दुकान का समान निकाल लेते हैं, उन पर पर कब कार्रवाही होगी इसपर हमारे संवाददाता के प्रश्न पर

एसडीएम ने कहा कि आज उहें भी बराबर की समझाइश दी गई है, दुबारा ऐसा करता पाए जाने पर प्रेस हमें सूचित करें, प्रशासन कड़ी कार्रवाही करेगा।

## आरएल हॉस्पीटल में मरीज की मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। हड्डी रोग के लिए शहर में चर्चित आरएल हॉस्पीटल में बुधवार उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, जब यहां पर ईलाज के लिए भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। मामले में परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में हुए लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई।

रोग के लिए शहर में चर्चित आरएल हॉस्पीटल के आरोपण की जाएगी। आम तौर पर यह देखा गया है कि इस तरह की कार्रवाही की मौत हो गई। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप था तो उसके कारण कारण चुनाव के दौरान उसके जिलाबदर की मांग की गई है।

घटना के बारे में बताया गया कि सुधार कुरें पिता हेमलाल कुरें 35 साल रामपुर कोराबा निवासी बीते 12 मार्च को रायगढ़ डिमरापुर ईलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आरएल हॉस्पीटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रशांत अग्रवाल के पास परिजन लेकर गए, तीन दिन तक भर्ती रहने के बाद आरएल हॉस्पीटल में मंगलवार को सुधार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद वार्ड में भर्ती करा दिया गया।

परिजनों का कहना है कि आपरेशन के बाद सुधार अस्पताल की एक नर्स सुधार को इंजेक्शन लगाने के लिए आरोपण की जाएगी। वहां उदान के पास बाईं से जाने के दौरान पीछे से आ रही ट्रक को साईंड देने की कोशिश में गाड़ी रोड से नीचे उतरने के बाद असंतुलित हो गई और गाड़ी सुधार कुरें के पीछे पर गिर गई। जिससे उनका एक पैर दूर गया। बाद में सुधार को

कारण बन गया। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन में इंजेक्शन लगाने में हुए लापरवाही के कारण सुधार की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना था कि मौत का कारण कारण कार्डियक और स्ट्रेसर था। उहेंने बताया कि परिजनों का जो भी आरोप है, अगर इसकी पुष्टि करानी है तो बेहतर होगा कि युवक की मौत हुई है। जिसके

लिए अस्पताल जिम्मेदार है। मामले में आरएल हॉस्पीटल के डा. प्रशांत अग्रवाल ने इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत के आरोपों से इंकार किया है। उ